प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

01 मार्च 2021

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और अन्य निगरानी अधिकार-क्षेत्र

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने पब्लिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई हेतु आह्वान के अधीन उच्च-जोखिम वाले अधिकार-क्षेत्र ' के माध्यम से अपने सदस्यों और अन्य अधिकार-क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे फरवरी 2020 में अपनाए इन अधिकार-क्षेत्रों पर विवरणों का संदर्भ लें।

एफएटीएफ ने आगे निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्रों की पहचान की है जिनके अंदर कार्यनीतिक कमियां है और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की गई है। ये अधिकार-क्षेत्र हैं– अल्बानिया, दि बहामास, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना,जमैका, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यानमार, निकारगुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे। सार्वजनिक विवरण के अनुसार, बुर्किना फासो, केमैन आइलैंड्स, मोरक्को और सेनेगल को अब फरवरी 2021 के एफएटीएफ प्लेनरी में किए गए निर्णय के आधार पर बढ़ती निगरानी के अधीन अधिकार- क्षेत्र की सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा, 18 दिसंबर 2020 को एफएटीएफ प्रकाशन के आधार पर, दि बहामास को बढ़ती निगरानी के अधीन अधिकार-क्षेत्र की सूची से हटा दिया गया है। रणनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) की कमियों वाले अधिकार-क्षेत्रों की पहचान और कार्य करने के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में रणनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे अधिकार-क्षेत्रों के संबंध में एफ़एटीएफ़ प्लेनरी 'कार्रवाई हेतु आह्वान के अधीन उच्च-जोखिम वाले अधिकार-क्षेत्र 'और 'बढ़ती निगरानी के अधीन अधिकार-क्षेत्र' शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और अधिकार-क्षेत्रों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

यह सूचना अद्यतित सार्वजनिक विवरण और 25 फरवरी 2021 को एफएटीएफ द्वारा जारी दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है:

1. https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2021.html

2. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html और

3. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन की वैधता और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ निर्णय निर्माण निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन विवरणों को अद्यतन करता है जिसे कृपया नोट किया जाए।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1176

मुख्य महाप्रबंधक